क्रम-संख्या–218

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, मंगलवार, 30 दिसम्बर, 2025

पौष 9, 1947 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(संसदीय अनुभाग)

संख्या 2926 / वि0स0 / संसदीय / 93(सं) / 2025
लखनऊ, 22 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025

जीवन तथा कारबार को सुगम बनाने हेतु विश्वास-आधारित शासन में और अधिक वृद्धि हेतु अपराधों के गैर-अपराधीकरण तथा युक्तिसंगत बनाने के लिए कतिपय अधिनियमितियों के संशोधन हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, तथा अनुसूची में उल्लिखित भिन्न–भिन्न अधिनियमों से संबंधित संशोधनों के लिए भिन्न–भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

कतिपय अधिनियमितियों में संशोधन

2—अनुसूची के स्तम्भ (4) में उल्लिखित अधिनियमितियों को स्तम्भ (5) में उल्लिखित रीति में और सीमा तक एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है।

जुर्माने तथा शास्तियों का पुनरीक्षण

3—अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमितियों में विभिन्न उपबंधों के अधीन उपबंधित जुर्माने तथा शास्तियॉ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात, यथास्थिति, इस हेतु निर्धारित जुर्माना तथा शास्ति की न्यूनतम धनराशि के दस प्रतिशत से वृद्धि की जाएगी।

निरसन और व्यावृत्ति

4—(1) उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2025

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

(3) इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के संशोधन से ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें संशोधित अधिनियमिति लागू की गई हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो; और यह अधिनियम पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बंध में पहले से पूर्ण कोई उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या मॉग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं करेगा; न ही यह अधिनियम इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रभा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित करेगा कि एतद्द्वारा संशोधित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गई होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा; और न ही इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के संशोधन से कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित होंगे।

अनुसूची

(भाग 2 देखें)

क्रम संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	संशोधन
1	2	3	4	5
1	1953	14	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953	(क) धारा 22 में शब्द, ''छह माह तक का कारावास अथवा एक लाख रुपये से अनधिक का जुर्माना अथवा दोनों हेतु दायी और उल्लंघन निरंतर जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिवस हेतु जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, पाँच हजार रुपये से अनधिक अतिरिक्त जुर्माना'' के स्थान पर ''दो लाख रुपये तक शास्ति का दायी और उल्लंघन जारी रहने की दशा में पाँच हजार रुपये तक अतिरिक्त शास्ति तक हो सकता है, प्रत्येक दिवस हेतु जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है" को रख दिया जाएगा।

1	2	3	4	5
1	1953	14	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953	(ख) धारा 22-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात :– "22क–उल्लंघनों की जांच– (1) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विशेष रूप में सशक्त कोई निरीक्षक, अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या आदेशों के किसी भी उल्लंघन की जांच कर सकता है। (2) ऐसे निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन नोटिस जारी करने, दस्तावेज समन करने और अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने तथा शास्ति की सिफारिश करने की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। (3) राज्य सरकार ऐसे जांचों हेतु निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रवर्तन सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रियायें विहित कर सकती है। (ग) धारा 23 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थातः– "23–न्यायनिर्णायन, प्रशमन एवं अपील— (1) इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा आदेशों का कोई भी उल्लंघन, धारा 22क के अधीन निरीक्षक द्वारा की गई जांच के आधार पर, धारा 9 के अंतर्गत नियुक्त गन्ना आयुक्त अथवा धारा 10 के अधीन नामित अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति के अध्यधीन होगा। (2) गन्ना आयुक्त अथवा धारा 10 के अधीन नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी, शास्ति के लिए दायी व्यक्ति द्वारा आवेदन पर धारा 22 के अधीन अधिरोपित शास्ति के पचास प्रतिशत से अनधिक होने वाला संविरचना फीस उद्ग्रहण कर उल्लंघन का शमन राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रियाओं के अध्यधीन कर सकते हैं। (3) किसी शास्ति या प्रशमन विनिश्चय से कोई व्यथित व्यक्ति धारा 9 के अधीन नियुक्त गन्ना आयुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अपीली प्राधिकारी के समक्ष 30 दिवसों के भीतर, ऐसे रूप एवं रीति से अपील कर सकता है, जैसा कि विहित किया जाए।'' (घ) धारा 24 को निकाल दिया जायेगा।

1	2	3	4	5
2	1956	3	उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955	(क) धारा 8 को निकाल दिया जायेगा।
3	1959	2	उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959	(क) धारा 465 में,— (एक) उपधारा (1) में, शब्द ''कारावास जो एक माह तक हो सकता है या ऐसी शास्ति जो एक सौ रुपये तक हो सकती है या जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है'' शब्दों, अंकों एवं अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे—''ऐसे नगर में, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, पाँच लाख रुपये तक तथा ऐसे नगर में, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम हो, तो एक लाख रुपये तक के जुर्माने का उत्तरदायी होगा।" (दो) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :— (2) ''जहाँ कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन शास्ति हेतु दायी हो ,वहाँ न्याय निर्णायक अधिकारी सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात किसी भी भवन को तुरंत हटाने अथवा उस भूमि के प्रचालन अथवा उपयोग को समाप्त करने का आदेश दे सकता है, जिसके सम्बन्ध में ऐसा उल्लंघन हुआ हो।'' (तीन) उपधारा (3) में, शब्द ''एक माह तक के कारावास अथवा एक सौ रुपए तक जुर्माना अथवा दोनों से दंडित'' के स्थान पर शब्द दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर की दशा में पांच लाख रुपए तक और दस लाख से कम जनसंख्या वाले नगर की दशा में एक लाख रुपए तक के शास्ति हेतु दायी होगा'' रख दिये जायेंगे।
4	1961	33	उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961	(क) धारा 107—क में, शब्द साधारण कारावास ''जिसकी अवधि एक वर्ष तक विस्तारित की जा सकती है और ऐसा जुर्माना जिसे बीस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है से दंडनीय'' के स्थान पर शब्द ''जिसे ऐसे शास्ति का दायी होगा जो दो लाख रुपये तक विस्तारित किया जा सकता है'' रख दिया जाएगा। (ख) धारा 240 के लिए निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थातः— ''राज्य सरकार, धारा 240 नियम बनाने में और उप—विधि बनाने में जिला पंचायत, विहित प्राधिकारी की मंजूरी से, यह निदेश दे सकती है कि इस उपबंध को भंग करने पर शास्ति लगायी जाएगी, जो एक हजार रुपये तक विस्तारित हो सकती है। यदि भंग निरंतर होता है, तो प्रारंभिक भंग के पश्चात उल्लंघन जारी रहने वाले प्रत्येक दिवस हेतु पचास रुपये तक का अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित की जा सकती है। भंग की पुनरावृत्ति होने की दशा में अपराधी पच्चीस हजार रुपये तक विस्तारित किए जा सकने वाले शास्ति का दायी होगा।" (ग) धारा 264—ञ हेतु निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात—

1	2	3	4	5
4	1961	33	उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961	धारा 264 में ''यदि कोई व्यक्ति धारा 264–घ अथवा धारा 264–च के अधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह एक लाख रुपये तक विस्तारित किये जा सकने वाले शास्ति का दायी होगा।"
5	1976	3	उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1976	(क) धारा 6 में, शब्द ''ऐसा कारावास जिसका विस्तार छह माह तक हो सकता हो अथवा जुर्माना अथवा दोनों के साथ'' के स्थान पर शब्द ''शास्ति जिसे पचहत्तर हजार रुपये तक विस्तारित किया जा सकता है'' रख दिया जायेगा।
6	1976	6	उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976	(क) धारा 16–क में,— (एक) शब्द और प्रतीक, ''ऐसी अवधि के कारावास जो छह माह तक हो सकता है या ऐसा जुर्माना जो पाँच हजार रुपए तक हो सकता है या दोनों से दंडित'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक ''ऐसी शास्ति जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकती के लिए दायी'' रख दिये जाएंगे। (दो) विद्यमान पाठ के पश्चात निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थातः— "इस धारा के प्रयोजन हेतु, मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जाय, जांच आयोजित करने तथा शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी।"
7	1976	45	उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976	(क) धारा 10 में, शब्द ''उसे कारावास का जो छः माह तक का हो सकता है, या जुर्माने का जो एक हजार रुपए तक हो सकता है, या दोनों का दण्ड दिया जाएगा'' के स्थान पर शब्द'' जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकता है, दंडनीय होगा'' रख दिया जायेगा। (ख) धारा 10 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात– ''10क-शास्तियों का न्याय निर्णयन– मंडलीय वन अधिकारी, धारा 10 के अधीन शास्ति अवधारित करने तथा अधिरोपित करने हेतु, ऐसी रीति से जांच करेगा, जैसी विहित। (ग) धारा 13 निकाल दी जायेगी। (घ) धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थातः— "15(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को,किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध यह विश्वास करने का कारण है कि उसने किसी वन, उद्यान अथवा सार्वजनिक भूमि में स्थित किसी वृक्ष के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है, प्रति वृक्ष पांच हजार रुपए से अनाधिक धनराशि, उस अपराध हेतु प्रशमन के रूप में स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगी, जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया माना जाएगा। (2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने इस अधिनियम

1	2	3	4	5
7	1976	45	उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976	के अधीन किसी वन, उद्यान अथवा सार्वजनिक भूमि में स्थित एक समय में पच्चीस से अधिक वृक्षों के सम्बन्ध में अपराध किया है, प्रति वृक्ष दस हजार रुपए से अनधिक धनराशि उस अपराध हेतु प्रशमन के रूप में स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगी, जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया माना जायेगा। (3) उपधारा (1) अथवा (2) में विनिर्दिष्ट शमन शुल्क का संदाय न किए जाने की स्थिति में, शमन शुल्क भूमि राजस्व के रूप में वसूल किया जा सकता है। (4) यदि ऐसी धनराशि किसी ऐसे अधिकारी को संदाय कर दी जाती है, तो संदिग्ध, यदि हिरासत में हो, तो रिहा किया जाएगा और इस अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी, तथा धारा 14 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा अधिकारी, मामले की परिस्थितियों में उचित समझे जाने वाली अन्यून दस हजार रुपए की धनराशि के संदाय पर, इस अधिनियम के अधीन जब्त की गई कोई भी संपत्ति निर्मोचित कर सकता है।
8	2012	8	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006	(क) धारा 229 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थातः— "(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति– (क) जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन अपेक्षित विधिपूर्वक कोई विवरण या सूचना प्रदान करने में विफल रहता है; अथवा (ख) जो कोई ऐसा विवरण या सूचना प्रदान करता है जो मिथ्या हो तथा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वो मिथ्या है; अथवा (ग) जो कलेक्टर या किसी अन्य राजस्व अधिकारी या ग्राम पंचायत को इस संहिता के उपबंधों के अनुसार किसी भूमि के कब्जा करने में बाधा उत्पन्न करता है, अथवा (घ) धारा 220 में विनिर्दिष्ट किसी कार्य को करने में किसी अधिकारी या लोक सेवक को बाधा पहुंचाता है; दो लाख रुपये तक की शास्ति का दायी होगा।"
9	2019	13	उत्तर प्रदेश भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019	(क) धारा 39 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थातः– "39-अपराध तथा शास्तियां– (1) यदि कोई भी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक अथवा भूजल के वृहद उपभोक्ता, अथवा कोई भी ड्रिलिंग अभिकरण, समुचित प्राधिकारी अथवा राज्य भूजल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन प्रदान किए गए किसी भी अधिकार का प्रयोग करने में बाधा पहुंचाती है, तो ऐसा व्यक्ति, प्रथम अपराध के मामले में, कारावास से जो अन्यून छह मास होगा लेकिन जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, अथवा जुर्माने से जो

1	2	3	4	5
9	2019	13	उत्तर प्रदेश भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019	अन्यून दो लाख रुपए होगा लेकिन जिसे पाँच लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती किए गए अपराध की स्थिति में, ऐसा व्यक्ति पूर्व अपराध हेतु दी गई जुर्माने की धनराशि के दोगुने जुर्माने के साथ–साथ उक्त उपधारा के अधीन दी गई कारावास की सजा का भी दायी होगा। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत प्राधिकार अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द किया जा सकेगा। (2) कोई भी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक अथवा भूजल के वृहद उपभोक्ता जो धारा 27 अथवा 29 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह— (क) प्रथम बार अपराध हेतु, शास्ति, जो दस लाख रुपये से अन्यून होगी, के लिए दायी होगा; (ख) द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध हेतु शास्ति, जो पंद्रह लाख रुपये से अन्यून होगी, के लिए दायी होगा; (3) कोई भी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या भूजल के वृहद उपभोक्ता अथवा वेधन अभिकरण, जो उपधारा (1), (2) के अधीन या अध्याय पांच के अधीन उपबंधों के सिवाय, इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाए गए नियमों, का उल्लंघन करता है अथवा अनुपालन करने में विफल रहता है, वह न्यूनतम शास्ति जो विहित की जाय और जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है, के लिए दायी होगा। द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती उल्लंघन की स्थिति में, ऐसा व्यक्ति शास्ति के लिए दायी होगा जो पूर्व में अधिरोपित राशि का दुगुना होगा। इस अधिनियम के अधीन दिया गया प्राधिकार अथवा अनापत्ति प्रमाणपत्र को निरस्त किया जा सकेगा। (4) कोई भी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक अथवा सामूहिक भूगर्भ जल का उपभोक्ता, जो धारा 26 की उपधारा (2) अथवा धारा 28 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह— (क) प्रथम उल्लंघन हेतु, न्यूनतम शास्ति जो विहित की जाय और जो दस लाख रुपये तक हो सकती है, के लिए दायी होगा; (ख) किसी पश्चात्वर्ती उल्लंघन हेतु न्यूनतम शास्ति जो चालीस लाख रुपये तक हो सकती है, के लिये दायी होगा; (5) कोई भी जलापूर्तिकर्ता (सरकारी पेयजल आपूर्ति योजनाओं से भिन्न), जो ऐसे भूगर्भ जल की आपूर्ति करता है या कराता है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विहित गुणवत्ता मानक को पूर्ण करने में विफल हो, न्यूनतम शास्ति जो विहित की जाय और जो पांच लाख रूपये तक हो सकती है, के लिए दायी होगा।

1	2	3	4	5
9	2019	13	उत्तर प्रदेश भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019	(6) जो कोई किसी भवन का स्वामी होते हुए, ऐसे रेखाचित्र स्वीकृत करने हेतु सक्षम किसी विकास प्राधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी रेखाचित्र, अभिकल्प और मार्गदर्शनों के अनुसार भूगर्भ जल पुनर्भरण करने के लिए वर्षा जल संचयन तंत्र प्रतिष्ठापित करने में विफल रहता है, तो वह भवन उपविधियों के अधीन निर्मित सम्बन्धित उपबंधों हेतु दायी होगा। (ख) धारा 39 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात— "39 क–न्यायनिर्णयन एवं वसूली— (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, धारा 39 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनार्थ ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जाय, किसी अधिकारी को पदाभिहित कर सकेगी।'' (2) शास्ति की अधिरोपित राशि का संदाय न किए जाने की स्थिति में, राशि भू–राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली योग्य होगी।''
10	2022	16	उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022	(क) धारा 36 में शब्द और प्रतीक,''ऐसा जुर्माना जो दस हजार रुपए तक हो सकता है, या ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन माह तक हो सकता है, से या दोनों से दंडनीय'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक ''शास्ति जो पचहत्तर हजार रुपए तक हो सकती है के लिए दायी'' रख दिए जाएंगे। (ख) धारा 39 में शब्द और प्रतीक, ''ऐसी अवधि के कारावास जो तीन माह तक हो सकता है, से या ऐसा जुर्माना जो दस हजार रुपए तक हो सकता है, से या दोनों, से और जहां अपराध जारी हो वहां ऐसा अग्रसर जुर्माना, जो प्रथम अपराध के पश्चात, जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी हो, प्रत्येक दिन एक हजार रूपये तक हो सकता है, से दंडनीय'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक ''ऐसी शास्ति जो पचहत्तर हजार रूपये तक हो सकती है और जहाँ उल्लंघन जारी हो, वहाँ अतिरिक्त शस्ति, जो प्रथम उल्लंघन के पश्चात् जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी हो, प्रत्येक दिन एक हजार रूपये तक हो सकती है, हेतु दायी'' रख दिए जाएंगे।

———————

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में कारबार सुगमता में अभिवृद्धि करने के लिए विविध राज्य अधिनियमों में संशोधन एवं लघु, तकनीकी एवं प्रक्रियागत खामियों से सम्बन्धित आपराधिक उपबन्धों को हटाना आवश्यक हो गया है। इन उपबन्धों को युक्तिसंगत आर्थिक शास्तियों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इस पहल का प्रयोजन अनुपालन भार को कम करना, विनियामक निश्चितता में सुधार करना और राज्य में विनिधान को प्रोत्साहित करना है। यह उपागम जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से क्रियान्वित राष्ट्रीय सुधार प्रयास से जुड़ा हुआ है।

राज्य का लक्ष्य 1 ट्रिलियन यू0एस0 डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करना है। इस हेतु प्रत्याशित एवं गैर दांडिक विनियामक ढांचा अत्यावश्यक है। उपर्युक्त के दृष्टिगत कतिपय अधिनियमों में संशोधन करके उनके कतिपय उपबन्धों को गैर अपराधिकरण किए जाने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नही था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 नवम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2025) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'
मंत्री,
औद्योगिक विकास।

———————

उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 में किए जाने वाले ऐसे उपबंधों का ज्ञापन–पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अंतर्ग्रस्त हैं।

उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 में किए जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्न प्रकार है:–

विधेयक का खंड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
1(2)	इसके द्वारा राज्य सरकार को इस अधिनियम की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अधिसूचना करने की शक्ति दी जा रही है; तथा राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान की जा रही है की वह इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं को विभिन्न तिथियों पर लागू कर सके।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'
मंत्री,
औद्योगिक विकास।

————————

उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953

धारा	22–यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम यो अथवा उसके अधीन बने नियम अथवा दी गयी आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो वह कारावास के दंड का, जो 6 महीने तक हो सकता है अथवा अर्थदंड का, जो एक लाख रूपये से अधिक न होगा अथवा दोनों का भागी होगा और यदि ऐसा उल्लंघन करता रहे तो प्रत्येक उस दिन के लिये, जब उल्लंघन करे, वह ऐसे अधिक अर्थदंड का भागी होगा, जो पांच हजार रूपये से अधिक न होगा।
धारा	22–क–(1) राज्य सरकार द्वारा सामान्य रूप से मामलों के या मामलों के किसी वर्ग के सम्बन्ध में इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सशक्त निरीक्षक, जिस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग ऐसा अधिकारी करता है उसकी सीमा के भीतर किये गये इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अन्वेषण कर सकता है।

	(2) कोई ऐसा अधिकारी ऐसे अन्वेषण के सम्बन्ध में उन्ही शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 के अध्याय-12 के उपबन्धों के अधीन किसी संज्ञेय अपराध के लिए कर सकता है।
धारा	23–(1) इस अधिनियम के अधीन गन्ना कमिश्नर अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा उनके अधिकार के अधीन परिवाद (complaint) किये बिना कोई अभियोग निवेशित (instituted) नहीं किया जायेगा। (2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियुक्त द्वारा प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर गन्ना कमिश्नर अथवा गन्ना कमिश्नर की पूर्व सहमति से जिला मजिस्ट्रेट ऐसा प्रशमन शुल्क (composition fee) लेकर, जो उस पर ऐसे अपराध के लिये लगाये जा सकने वाले अर्थ–दंड से अधिक न होगा, किसी भी स्तर पर उक्त अपराध का प्रशमन (compound) कर सकता है। (3) कोई भी न्यायालय जो द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न हो, इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने किसी नियम अथवा दी गयी किसी आज्ञा के विरुद्ध किसी अपराध का विचार न कर सकेगा।
धारा	24–कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 (Code of Criminal Procedure, 1898) की धारा 32 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष रूप से अधिकृत और इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने नियम अथवा दी गई आज्ञा के अधीन किसी मामले की सुनवाई करने वाले यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट के लिये यह वैध होगा कि इस अधिनियम के अधीन अपराधी निर्णीत किये गये किसी व्यक्ति पर ऐसा अर्थदंड लगाये, जो एक लाख रुपये से अधिक न होगा।
	* * * *

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955

धारा	8–(1) यदि किसी चलचित्र यंत्र का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति उसका प्रयोग करता है या प्रयोग करने देता है, या यदि किसी स्थान का स्वामी शास्ति या अध्यासी चलचित्र यंत्र द्वारा प्रदर्शन के लिये उस स्थान का प्रयोग करने की अनुज्ञा देता है, या यदि कोई व्यक्ति वीडियो द्वारा प्रदर्शन करता है वीडियो लाइब्रेरी मनोरंजन आयोजित करना रखता है जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमो के उपबन्धों का या उन शर्तों और निर्बन्धनों का जिन पर या जिनके अधीन इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया गया हो, उल्लंघन होता है तो वह ऐसी अवधि के लिये जो छः मास तक हो सकती है, साधारण कारावास से या जुर्माने से जो बीस हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों से और अपराध जारी रहने की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान अपराध जारी रहे, दो हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा। (2) यदि कोई व्यक्ति इस निमित सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रवेश करने से रोकता है या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन या द्वारा आरोपित अपने कर्तव्यों का अनुपालन करने में ऐसे अधिकारी को अन्यथा बाधा डालता है तो वह जुर्माने से जो दस हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा। (3) यदि कोई व्यक्ति किसी चलचित्र या वीडियो फिल्म या किसी रिकार्ड जिसमें फिल्म से सम्बन्धित साउण्ड ट्रैक का भाग समाविष्ट है से सम्बन्धित प्रतिलिप्याधिकार के उल्लंघन, जो प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 के अधीन दण्डनीय है से सम्बन्धित अपराध करता है या करने का प्रयास करता है या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है या चलचित्र या वीडियो कैसेट या कोई अन्य डिवाइस जिसे जिस भी नाम से पुकारा जाय की किसी उल्लंघन कृत प्रति को प्रदेशिक करता है या प्रदर्शित करने की अनुज्ञा देता है या उसका विक्रय भण्डारण करता है, किराये पर देता है या वितरण करता है, उसका विनियम करता है या परिचालन लाता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तय हो सकती है या जुर्माने

	तक जो पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रूपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा। (4) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराये, जाने के पश्चात उक्त उपधारा के अधीन दण्डनीय अपराध का पुनः दोषी पाया जाता है तो वह द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नही होगी किन्तु जो दो वर्ष तक हो सकती है या ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पाँच लाख रूपये तक हो सकता है या दोनों दण्डनीय होगा।
	* * * *

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959

धारा	465–(1) जो भी व्यक्ति धारा 267 की उपधारा (1) के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करे, उसे दोष सिद्ध होने पर, एक मास तक का कारावास दंड, अथवा 100 रूपये तक का अर्थ–दंड अथवा दोनो ही दंड दिये जा सकते है। (2) जब कोई व्यक्ति धारा (1) के अधीन सिद्ध दोष होता है तो दोष सिद्ध करने वाला मैजिस्ट्रेट ऐसे किसी भवन को तुरन्त हटाये जाने अथवा ऐसी किसी भूमि पर होने वाली क्रियाओं अथवा उस भूमि के प्रयोग को तुरन्त बन्द किये जाने की आज्ञा दे सकता है जिसके सम्बन्ध मे उक्त दोष सिद्धि (conviction) की गयी हो । (3) यदि उपधारा (2) के अधीन की गयी किसी आज्ञा का पालन न किया जाय अथवा उसके सम्पादन का विरोध किया जाय तो अपराधी व्यक्ति को दोष सिद्ध होने पर, एक महीने का कारावास–दंड अथवा 100 रूपये तक का अर्थ–दंड अथवा दोनो ही दंड दिये जा सकते हैं।
	* * * *

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961

धारा	**107–क–अतिक्रमण या अवरोध के लिये शास्ति-**(1) जो कोई किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र में उस जिला पंचायत की किसी भूमि पर, किसी सार्वजनिक सड़क में नाली के ऊपर की सीढ़ियों के निर्माण को छोड़कर, अतिक्रमण करता है, साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से जो बीस हजार रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
धारा	**240–नियमों तथा उपविधियों का उल्लंघन-**नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियत प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत निदेश दे सकती है कि उसका उल्लंघन अर्थ–दण्ड से दण्डनीय होगा जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ–दण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, पचास रुपये तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थ–दण्ड का भुगतान न किया जाय तो कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक का हो सकेगा।
धारा	**264–ञ– अधिग्रहण सम्बन्धी किसी आदेश के उल्लंघन के लिये शास्ति-**यदि कोई व्यक्ति धारा 264–घ या धारा 264–च के अधीन किये गये आदेश का उल्लंघन करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
	* * * *

उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1976

धारा	6–धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को सिद्ध दोष होने पर कारावास का, जो छः मास तक का हो सकता है, अथवा जुर्माना का, अथवा दोनों दण्ड दिया जायगा।
	* * * *

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976

धारा	16–क–(1) किसी व्यक्ति को, जो धारा 16 के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति को किसी भूमि पर या भवन में प्रवेश करने में बाधा डालता है कारावास से, जो छह माह तक हो सकता है या जुर्माना जो पांच हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
	* * * *

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976

धारा	10–जो कोई भी धारा 4 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए किसी खड़े वृक्ष को गिराता है या गिराने देता है, या किसी गिरे हुए वृक्ष को काटता है, हटाता है या अन्यथा निस्तारित करता है या इस अधिनियम के अधीन दी गयी किसी अनुज्ञा की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, उसे कारावास का, जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माने का, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों का दण्ड दिया जायेगा।
धारा	13–(1) वनराजिक से अनिम्न श्रेणी का कोई वन अधिकारी या सब इन्सपेक्टर से अनिम्न श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से सम्बन्धित है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता हैः परन्तु पर्वतीय क्षेत्र के सम्बन्ध में इस धारा में सब इन्सपेक्टर के प्रति निर्देश का अर्थ इस प्रकार किया जायेगा मानो यह नायब तहसीलदार के प्रति निर्देश है। (2) इस धारा के अधीन गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक अधिकारी, बिना अनावश्यक विलम्ब किये, और बन्ध–पत्र पर छोड़े जाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गिरफ्तार व्यक्ति को उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट या निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जायेगा या भिजवायेगा। (3) इस धारा के अधीन गिरफ्तार किसी व्यक्ति को उसके द्वारा, मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष, जब कभी आवश्यक हो उपस्थित होने के लिए, बन्ध–पत्र निष्पादित किये जाने पर छोड़ दिया जायेगा।
धारा	15–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध यह विश्वास करने का कारण है कि उसने किसी वन, बाग या सार्वजनिक भू–गृहादि में स्थित वृक्ष से भिन्न किसी वृक्ष के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है, ऐसी धनराशि, जो [1][दस हजार रुपये से अधिक] न हो, उस अपराध के लिये प्रशमन के रूप में स्वीकार के लिये प्राधिकृत कर सकती है जिसके बारे ने यह विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति ने उसे किया है। (2) किसी ऐसे अधिकारी को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, छोड़ दिया जायेगा और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायेगी और धारा 14 में किसी बात के होते हुये भी,

	ऐसा अधिकारी, ऐसी राशि का: जो [2][दस हजार रुपये] से अधिक न हो जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, भुगतान करने पर इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत सम्पत्ति को छोड़ सकता है।
	* * * *

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006

धारा	**229–अपेक्षित विवरण या सूचना आदि न प्रस्तुत करने पर शास्ति**– प्रत्येक व्यक्ति जोः– (क) इस संहिता के उपबन्धों के अधीन विधिपूर्ण रूप से अपेक्षित कोई विवरण या सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या (ख) कोई ऐसा विवरण या सूचना प्रस्तुत करता है जो मिथ्या है और जिसे मिथ्या मानने का उसके पास कारण हो; या (ग) कलेक्टर या किसी अन्य राजस्व अधिकारी या ग्राम पंचायत को किसी भूमि का कब्जा इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार प्राप्त करने में बाधा डालता है; या (घ) किसी अधिकारी या लोक सेवक को धारा 220 में विनिर्दिष्ट किसी भी कार्य को करने में बाधा डालता है; दोष सिद्ध होने पर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।
	* * * *

उत्तर प्रदेश भू–गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019

धारा	39–(1) यदि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ता या कोई वेधन अभिकरणः– (क) इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी किसी नियमावली के किसी उपबंध, अध्याय पांच में वर्णित उपबंधों के सिवाय का उल्लंघन करता है या उसका अनुपालन करने में विफल रहता है; या (ख) इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने हेतु समुचित प्राधिकरणों या राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन तथा नियामक प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के लिए व्यवधान उत्पन्न करता है तो वह ऐसे जुर्माने, जो दो लाख रूपये से कम नहीं होगा और जो पांच लाख रूपये तक हो सकता है या ऐसे कारावास, जो छः माह से कम नहीं होगा और जो एक वर्ष तक हो सकता है, के साथ या प्रथम अपराध के मामले में दोनों के साथ दंडित किया जाएगा; (ग) उपखण्ड (ख) के अधीन दोष सिद्ध किए जाने के पश्चात पुनः उक्त अपराध करता है तो ऐसा उपयोक्ता द्वितीय अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह ऐसे जुर्माने, जो उक्त उपखण्ड के अधीन उसे अधिनिर्णीत किए गए कारावास के अतिरिक्त, उसे अधिनिर्णीत किए गए जुर्माने की धनराशि का दोगुना होगा, के साथ दंडित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अधीन उसे स्वीकृत किया गया प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण-पत्र तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। (2) कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ता, जो धारा 26 की उपधारा (2), धारा 27, धारा 28 और धारा 29 के अधीन उपबंधित किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, निम्नलिखित दण्ड का भागी होगा–

	(क) ऐसी अवधि का कारावास, जो दो वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकता है या जुर्माना, जो पांच लाख रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो प्रथम अपराध के मामले में दस लाख रुपए तक हो सकता है; (ख) ऐसी अवधि का कारावास, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु जो सात वर्ष तक हो सकता है या जुर्माना, जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो बीस लाख रुपए तक हो सकता है, यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट उक्त अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो पहले ही उक्त अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो। (3) कोई जलापूर्तिकर्ता (सरकारी पेयजल आपूर्ति योजनाओं से भिन्न) जो ऐसे भूगर्भ जल की आपूर्ति करता है या कराता है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विहित गुणवत्ता मानक को पूरा करने में विफल हो, ऐसे जुर्माने, जो दो लाख रूपये से कम नही होगा और जो पांच लाख रूपये तक हो सकता है, के साथ दण्डित किया जाएगा। (4) जो कोई किसी भवन का स्वामी होते हुए इस अधिनियम के अधीन किसी समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी रेखा चित्र अभिकल्प और मार्गदर्शनों के अनुसार भूगर्भ जल पुनर्भरण करने के लिए वर्षा जल संचयन तंत्र प्रतिष्ठापित किए जाने हेतु उत्तरदायी हो ऐसा करने में विफल हो तो वह ऐसी रीति से और ऐसे दण्ड के साथ दण्डित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाय।
	* * * *

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022

धारा	36–जो कोई युक्तियुक्त कारण के बिना धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी अपेक्षा या उक्त धारा के अधीन जारी निदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह ऐसे जुर्माना, जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, से ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन माह तक हो सकता है, से या दोनों से और जहां अपराध जारी रहता है, वहां ऐसे अग्रतर जुर्माना, जो प्रथम अपराध के पश्चात, जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी रहता है, प्रतिदिन एक हजार रुपये तक हो सकता है, से दंडनीय होगा ।
धारा	39–जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी किसी नियमावली या अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, वह इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन अपने विरुद्ध कृत किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन माह तक हो सकता है, से या ऐसे जुर्माना जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, से या दोनों से और जहां अपराध जारी हो वहां ऐसे अग्रसर जुर्माना, जो प्रथम अपराध के पश्चात जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी हो प्रत्येक दिन एक हजार रुपये तक हो सकता है, से दंडनीय होगा।
	* * * *

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

310 RPH (Sugamya Vyapar) (Sansadiya) 2026 Data 6e

UTTAR PRADESH SARKAR

SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 288/XC-S-1–25-35S-2025

Dated Lucknow, December 30, 2025

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Sugamya Vyapar (Pravdhaano Ka Sanshodhan) Vidheyak, 2025" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 22, 2025.

THE UTTAR PRADESH SUGAMYA VYAAPAR (PRAVDHAANO KA SANSHODHAN) BILL, 2025

A

BILL

to amend certain enactments for decriminalising and rationalising offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sugamya Vyaapar (Pravdhaano Ka Sanshodhan) Act, 2025.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, appoint; and different dates may be appointed for amendments relating to different enactments mentioned in the Schedule.

Amendment of certain enactments

2. The enactments mentioned in Column (4) of the Schedule are hereby amended to the extent and in the manner mentioned in Column (5) thereof.

Revision of fines and penalties

3. The fines and penalties provided under various provisions in the enactments mentioned in the Schedule shall be increased by ten percent of the minimum amount of fine or penalty, as the case may be, prescribed therefor, after the expiry of every three years from the date of commencement of this Act.

Repeal and savings

U.P. Ordinance no. 14 of 2025

4. (1) The Uttar Pradesh Sugamya Vyaapar (Pravdhaano Ka Sanshodhan) Ordinance, 2025 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

(3) The amendment by this Act of any enactment shall not affect any other enactment in which the amended enactment has been applied, incorporated or referred to; and this Act shall not affect the

validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred or any remedy or proceeding already completed in respect thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted; nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed, or recognised or derived by, in or from any enactment hereby amended; nor shall the amendment by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.

———

THE SCHEDULE

(*See* Section 2)

Sl. no.	Year	No.	Short Title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1953	14	The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953	(A) In Section 22, *for* the words "liable to imprisonment up to six months or to a fine not exceeding one lakh rupees or both and in the case of continuing contravention to a further fine not exceeding five thousand for each day during which the contravention continues", the words "liable to a penalty which may extend to two lakh rupees and, in the case of a continuing contravention, with an additional penalty which may extend to five thousand rupees for each day during which the contravention continues" shall be *substituted.* (B) *For* Section 22A, the following section shall be *substituted,* namely:- "22A. Inquiry into Contraventions- (1) An Inspector, specially empowered by the State Government by notification, may conduct inquiries into any contravention of this Act or Rules or Orders made thereunder within the limits of his jurisdiction.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(2) Such Inspectors may exercise powers to issue notices, summon documents, and collect evidence necessary to ascertain compliance and recommend penalties under this Act. (3) The State Government may prescribe procedures for such inquiries to ensure fair and transparent enforcement." (C) *For* Section 23, the following Section shall be *substituted,* namely:- "23. Adjudication, Compounding, and Appeal- (1) Any contravention of this Act or rules or orders made thereunder shall be subject to a penalty imposed by the Cane Commissioner appointed under Section 9 or an officer designated under Section 10, based on an inquiry conducted by an Inspector under Section 22A. (2) The Cane Commissioner or an officer designated under Section 10 may, on application by the person liable for a penalty, compound the contravention by levying a composition fee not exceeding fifty percent of the penalty imposed under Section 22, subject to procedures prescribed by the State Government. (3) Any person aggrieved by the imposition of a penalty or compounding decision may appeal to the Sugar Commissioner appointed under Section 9 or an appellate authority designated by the State Government within thirty days, in such form and manner as may be prescribed." (D) Section 24 shall be *omitted.*
2	1956	3	The Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955	Section 8 shall be *omitted.*
3	1959	2	The Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959	(A) In Section 465,– (i) in sub-section (1), *for* the words and symbol "punished with imprisonment which may extend to one month or with fine which may extend to one hundred rupees or with both", the words "liable to a penalty which may extend to five lakh rupees in case of a city with a population exceeding one million and one lakh rupees in case of a city with a population less than one million" shall be *substituted;* (ii) *for* sub-section (2), following sub-section shall be *substituted,* namely:– "(2) Where a person is held liable for a penalty under sub-section (1), the adjudicating officer may, after giving an opportunity of being heard, order the immediate removal of any building, or the discontinuance of the operation or use of land, in respect of which such contravention has occurred." (iii) in sub-section (3), *for* the words "punished with imprisonment which may extend to one month or with fine which may extend to one hundred rupees or with both", the words "liable to a penalty which may extend to five lakh rupees in case of a city with a population exceeding one million and one lakh rupees in case of a city with population less than one million" shall be *substituted.*

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	1961	33	The Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961	(A) In Section 107-A, *for* the words and symbol "punishable with simple imprisonment for a term which may extend to one year and with fine which may extend to twenty thousand rupees.", the words and symbol "liable to a penalty which may extend to two lakh rupees." shall be *substituted.* (B) *For* Section 240, the following section shall be *substituted,* namely:– "240. In making a rule, the State Government, and in making a bye-law, the Zila Panchayat with the sanction of the Prescribed Authority, may direct that a breach of this provision shall be liable to a penalty which may extend to one thousand rupees. In case of a continuing breach, an additional penalty of upto fifty rupees, may be imposed for each day the violation continues after the initial breach. In the event of a repeated breach, offender shall be liable to a penalty which may extend to twenty-five thousand rupees." (C) *For* Section 264-J, the following section shall be *substituted,* namely:– "264-J. If any person contravenes any order made under Section 264-D or Section 264-F, he shall be liable to a penalty which may extend to one lakh rupees."
5	1976	3	The Uttar Pradesh Intoxicating Liquor (Objectionable Advertisements) Act, 1976	(A) In Section 6, *for* the words "with imprisonment which may extend to six months or with fine or with both", the words "with a penalty which may extend to seventy-five thousand rupees" shall be *substituted.*
6	1976	6	The Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976	(A) In Section 16-A,– (i) *for* the words and symbol "punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both", the words and symbol "liable to a penalty which may extend to twenty-five thousand rupees" shall be *substituted;* (ii) *after* the existing text, the following shall be *inserted,* namely:– "For the purposes of this section, the Chief Executive Officer or any officer authorised by him shall have the power to hold inquiry and impose the penalty in such manner as may be prescribed."

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	1976	45	The Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976	(A) In Section 10, *for* the words, "punished with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both", the words "shall be punishable with fine which may extend to ten thousand rupees"shall be *substituted.* (B) *After* Section 10, following Section shall be *inserted,* namely:- "10A. Adjudication of Penalties– The Divisional Forest Officer shall conduct an inquiry to determine and impose the penalty under Section 10, in such manner as may be prescribed." (C) Section 13 shall be *omitted.* (D) *For* Section 15, the following section shall be *substituted,* namely:– "15. (1) The State Government may, by notification, authorise any officer to accept from any person against whom there is reason to believe that he has committed an offence under this Act in relation to any tree situated in any forest, garden or public land, a sum of money not exceeding five thousand rupees per tree as compounding for the offence believed to have been committed by such person. (2) The State Government may, by notification, authorise any officer to accept from any person against whom there is reason to believe that he has committed an offence under this Act in respect of more than twenty-five trees at one time situated in any forest, garden or public land, a sum of money not exceeding ten thousand rupees per tree as compounding for the offence believed to have been committed by such person. (3) In case of non-payment of the composition fee specified in sub-section (1) or (2), the composition fee may be recovered as land revenue. (4) On payment of such sum of money to any such officer, the suspect, if in custody, shall be released and no further proceedings shall be taken against such person under this Act and notwithstanding anything contained in Section 14, such officer may, on payment of such sum, not being less than ten thousand rupees, as he may consider reasonable in the circumstances of the case, release any property seized under this Act."

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	2012	8	The Uttar Pradesh Revenue Code, 2006	(A) *For* Section 229, the following Section shall be *substituted,* namely:– "229."(1) Every person,– (a) who fails to furnish any statement or information lawfully required under the provisions of this Code; or (b) furnishes any statement or information which is false and which he has reason to believe to be false; or (c) obstructs the Collector or any other revenue officer or Gram Panchayat in taking possession of any land in accordance with the provisions of this Code; or (d) obstructs any officer or public servant in doing any of the Acts specified in Section 220; shall be liable to a penalty which may extend to two lakh rupees."
9	2019	13	The Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019	(A) *For* Section 39, the following section shall be *substituted,* namely:– "39. Offences and Penalties– (1) If any commercial, industrial, infrastructural or bulk user of groundwater, or any drilling agency obstructs the Appropriate Authorities or any other person authorised by the State Ground Water Management and Regulatory Authority to exercise any of the powers under this Act, such person shall be punishable with imprisonment which shall not be less than six months but which may extend to one year, or with fine which shall not be less than two lakh rupees but which may extend to five lakh rupees, or with both, in the case of a first offence. In the event of a second or subsequent offence, such person shall be liable to a fine which shall be double the amount of the fine awarded in the previous instance, in addition to imprisonment awarded under the said sub-section. Besides, the authorisation or no-objection certificate granted under this Act shall be liable to cancellation. (2) Any commercial, industrial, infrastructural or bulk user of groundwater who contravenes the provisions of Sections 27 or 29 shall,– (a) for the first offence, be liable a penalty which shall not be less than ten lakh rupees; (b) for the second or subsequent offence, shall be liable a penalty which shall not be less than fifteen lakh rupees. (3) Any commercial, industrial, infrastructural or bulk user of groundwater or drilling agency who contravenes or fails to comply with any provision of this Act or the rules made thereunder except those covered under sub-sections (1), (2), or the provisions under Chapter-V, shall be liable to a

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				minimum penalty which may be prescribed and which may extend to five lakh rupees. In the event of a second or subsequent contravention, such person shall be liable to a penalty which shall be double the amount imposed in the previous instance. The authorisation or no-objection certificate granted under this Act shall be liable to cancellation. (4) Any commercial, industrial, infrastructural or bulk user of groundwater who contravenes the provisions of sub-section (2) of Section 26, or Section 28 shall,– (a) for the first contravention, be liable to a minimum penalty which may be prescribed and which may extend to ten lakh rupees; (b) for any subsequent contravention, be liable to a penalty which may extend to forty lakh rupees. (5) Any supplier of water (other than Government drinking water supply schemes) who supplies or causes to be supplied groundwater which fails to meet the quality standards prescribed under any law for the time being in force shall be liable to a minimum penalty which may be prescribed and which may extend to five lakh rupees. (6) Whoever, being the owner of a building, fails to install a system for harvesting rainwater to recharge groundwater as per the sanctioned drawing, design and guidelines issued by any Development Authority or other authority competent to sanction such drawing, shall be liable to concerned provisions made under building bye-laws." (B) *After* Section 39, the following section shall be *inserted,* namely: – "39A. Adjudication and Recovery– (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may by notification designate an officer for the purpose of imposing penalties under Section 39 in such manner as may be prescribed. (2) In the event of non-payment of the penalty imposed, the amount shall be recovereable as an arrear of land revenue."
10	2022	16	The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022	(A) In Section 36, *for* the words any symbol "punishable with fine which may extend to Ten thousand rupees or with imprisonment for a term which may extend to three months, or with both", the words and symbol "liable to a penalty which may extend to seventy-five thousand rupees" shall be *substituted.* (B) In Section 39, *for* the words and symbol "be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to Ten thousand rupees or with both and where the offence is a continuing one with a further fine which may extend to One thousand rupees for every day after the first during which such offence continues.", the words and symbol "be liable to a penalty which may extend to seventy-five thousand rupees and, in the case of a continuing contravention, with an additional penalty which may extend to one thousand rupees for every day after the first during which such contravention continues."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To promote ease of doing business in the State of Uttar Pradesh, it has become necessary to amend various State Acts and remove criminal provisions relating to minor, technical and procedural lapses. These provisions are being replaced with rationalised monetary penalties. The purpose of this initiative is to reduce compliance burden, improve regulatory certainty and encourage investment in the State. This approach is aligned with the national reform effort undertaken through the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023.

The State aims to achieve a USD 1 trillion economy. For this, a predictable and non punitive regulatory framework is essential. In view of the above, it was decided to amend certain Acts to decriminalise certain provisions thereof.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Sugamya Vyapaar (Amendment of Provisions) Ordinance, 2025 (U.P. Ordinance no. 14 of 2025) was promulgated by the Governor on 7th November, 2025.

The Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

NAND GOPAL GUPTA 'NANDI'
Mantri,
Audyogik Vikas.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 310 राजपत्र–2026–(950)–599+25+05=629 प्रतियां–(डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

310 RPH (Sugamya Vyapar) (Sansadiya) 2026 Data 6e